बिहार विधान परिषद

(197वां बजट सत्र)

04 मार्च, 2021

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 18

अतिक्रमण मुक्त करते हुए विकास कब-तक

*155 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जलकरों (छोटे तालाब) की संख्या एक लाख से अधिक है पर सरकार के पास सिर्फ लगभग 31 हजार का रिकार्ड है;

(ख) क्या यह सही है कि अधिकांश जलकर या तो निष्क्रिय हैं या उनका अतिक्रमण कर लिया गया है या जानबूझ कर उन्हें अवरुद्ध कर दिया गया है, जिस कारण न तो इन्हें व्यवसायिक उपयोग में लाया जा पा रहा है और न ही इनकी बंदोबस्ती हो पा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथाशीघ्र ऐसे जलकरों को चिन्हित कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराकर उपयोग में लाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक ?

मामलों का निबटारा

*156 **श्री रण विजय कुमार सिंह (विधान सभा):**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण :-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में दलित उत्पीड़न के 7061 मामले वर्षों से लंबित हैं, जिसके कारण अत्याचार पीडि़त दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि दलित उत्पीड़न के मामले वर्षों से लंबित रहने के कारण दलितों में काफी क्षोभ हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दलित उत्पीड़न के लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक ?

उड़ाही एवं अतिक्रमण मुक्त कब-तक

*157 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनबरसा के कन्हौली बाजार मठ के निकट रमणी और जमुनी पोखर तथा फरछंहिया शक्ति केन्द्र के निकट रमुनिया पोखर की उड़ाही नहीं होने से गाद जमा हो गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तीनों पोखर का अतिक्रमण चारों तरफ से हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन पोखरों की उड़ाही कर अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक ?

आतंक से निजात

*158 **श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन :-

क्या मंत्री, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय एवं खगडि़या के हजारों किसानों की लगी हुई फसल नील गाय / नील बकरी के द्वारा खाकर नष्ट कर दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि नील गाय / नील बकरी के द्वारा फसल बर्बाद करने से किसानों को भारी क्षति हो रही है जिससे किसानों की हालत दयनीय हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को नील गायों एवं नील बकरियों के आंतक से मुक्त करने के लिए ठोस पहल करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

छात्रावास बनाने पर विचार

*159 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण :-

क्या मंत्री, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 'जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास' सभी 38 जिलों में बनाना था;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी जिलों में 'जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास' बनाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक ?

शिक्षक बहाली कबतक

*160 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

समाज कल्याण :-

क्या मंत्री, समाज कलयाण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से पटना में कदमकुआं, दरभंगा और भागलपुर में विशेष विद्यालय संचालित होते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि कोरोना संक्रमण लॉकडाउन में नौ महीने से विद्यालयों में पढ़ने वाले नेत्रहीन बच्चों के लिए न तो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई न इन्हें समान विद्यालयों से जोड़कर इनके शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई;

(ग) क्या यह सही है कि सामान्य विद्यालयों को प्लस टू का दर्जा प्राप्त है तो नेत्रहीन उच्च विद्यालयों को अब तक प्लस टू का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है, शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित रहता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नेत्रहीन उच्च विद्यालयों को कबतक प्लस टू का दर्जा देना और इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षक बहाल करना चाहती है ?

ससमय कार्यों का निष्पादन

*161 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य की आधी आबादी के लोग किसी अन्य राज्य में रहकर अपना जीवन- यापन करते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वे पर्व-त्यौहार या किसी अन्य अवकाश में बिहार स्थित अपने अपने घर पर जाते हैं तथा समयाभाव के कारण सरकारी कार्यों का सम्पादन नहीं करा पाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे लोग अपने लंबित सरकारी कार्य ससमय नहीं करा पाने के कारण निराश हो कर वापस अपने कार्य स्थल पर लौट जाते हैं;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ऐसे लोगों की सुविधा हेतु जिला अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर प्रवासी प्रकोष्ठ बना कर ससमय इनके कार्यों का निष्पादन कराना चाहती है? यदि हां तो कबतक? यदि नहीं तो क्यों?

प्रदूषण नियंत्रण

*162 **डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन :-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश जिलों की मुख्य सड़क पर बड़े एवं छोटे वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से बहरापन की बीमारी ज्यादा हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़े एवं छोटे वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कारगर योजना लागू करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

ट्रेंड करने का विचार

*163 **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

गृह :-

क्या मंत्री,गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज शहर में किसी चौक-चौराहे पर यातायात संचालन के लिए ट्रैफिक सिगनल या ट्रैफिक पुलिस पोस्ट नहीं है, जहां से यातायात नियंत्रित हो सके , ट्रैफिक पुलिस की सीटी की आवाज सुनने को नहीं मिलती है, लिहाजा वाहन चालक अपनी सुविधा और खाली जगह देखकर रॉंग साइड से भी निकल लेते हैं , इतना ही नहीं, नो इंट्री जोन में बेरोक-टोक बड़े वाहनों का प्रवेश होते रहता है, नतीजतन सड़कें चौड़ी होने के बावजूद दिन भी जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि यातायात संचालित करने के लिए यहां ट्रैफिक में ट्रेंड जवान भी नहीं हैं, ट्रैफिक व्यवस्था होमगार्ड या जिला पुलिस बल के भरोसे है, पुलिस के इन जवानों के पास ट्रैफिक संचालन का अनुभव भी नहीं है, शहर में घंटों जाम लगने का एक मुख्य कारण यह भी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गोपालगंज में ट्रैफिक पुलिस पोस्ट, यातायात नियंत्रित ट्रैफिक पुलिस को ट्रेंड करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मानक तैयार करने पर विचार

*164 **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अनुदान पर सिंचाई नलकूप का मानक पूरे प्रदेश के लिए एक तरह का है जो पठारी क्षेत्र में सफल नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि विभाग पठारी क्षेत्र के लिए अलग मानक तैयार करने का विचार रखता है, यदि नहीं तो क्यों ?

बेवसाईट पर उपलब्ध कब तक

*165 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण :-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि उद्योग प्रोत्साहन के तहत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए आधी सब्सिडी पर राशि देने की व्यवस्था जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से की है;

(ख) क्या यह सही है कि इन उद्यमियों को दी गई सब्सिडी का सदुपयोग कहां तक हुआ है या उन्हें कितना उद्योग स्थापित करने के लिए राशि दी गई है, इसकी जांच की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दी जाने वाली सब्सिडी का सदुपयोग सुनिश्चित करने तथा उस सब्सिडी से कितने परिवार लाभांवित हुए, इसकी अद्यतन जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

न्याय कब तक

*166 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन :-

क्या मंत्री, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्री आफताब अहमद, सहायक लेखापाल के पद पर दिनांक:- 10.08.2007 से 25.01.2011 तक बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में प्रतिनियुक्त थे;

(ख) क्या यह सही है कि श्री आफताब के साथ लगभग दो दर्जन हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट कर्मचारी बिवरेज कॉरपोरेशन में विभिन्न अवसरों पर प्रतिनियुक्त हुए, जिनका 6000/- मूल वेतन निर्धारित किया गया;

(ग) क्या यह सही है कि उसी श्रेणी के कर्मचारी, श्री आफताब अहमद जो स्टेट हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्ट से बिहार बिवरेज कॉरपोरेशन में आए थे, उनका मूल वेतन बिवरेज कॉरपोरेशन द्वारा 4300/- रुपया निर्धारित किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है;

(घ) क्या यह सही है कि श्री आफताब द्वारा कई बार इस भेद-भाव के खिलाफ अपने उच्च अधिकारियों के पास गुहार लगाई गई, परंतु नतीजा शून्य रहा;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विभाग कब तक श्री आफताब के साथ न्याय करेगा ?

जानमाल की सुरक्षा

*167 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर प्रखंड गंगा नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ टापूनुमा इलाका है;

(ख) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों मे गंगा नदी से इस इलाके में भयंकर कटाव होता है जिससे व्यापक जान-माल की क्षति होती है;

(ग) क्या यह सही है कि गंगा नदी के इस कटाव को रोकने हेतु गंगा के किनारे बाढ़ निरोधात्मक कार्य कराये जाते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों से राघोपुर में कहीं भी कटाव निरोधात्मक कार्य नहीं कराये जा रहे हैं जिससे एक बड़ा भूभाग गंगा में विलीन होता जा रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राघोपुर प्रखंड में आगामी बाढ़ के पूर्व कटाव निरोधात्मक कार्य कराकर इस इलाके के लोगों की जान-माल की सुरक्षा करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सफाई कराने पर विचार

*168 **श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत ढोढ स्थान गंडक नदी होते हुए सारेया सतुआ बनियापुर होते हुए मढौरा की ओर जाने वाली गंडक नदी बहुआर जंगल तथा कचरा भरने से नदी के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इस नदी से वर्षों पूर्व किसानों के खेतों मे पटवन होता था जो

बहुआर जंगल तथा कचरा के कारण बंद हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित नदी की सफाई कराने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जीर्णोद्धार की स्वीकृति

***169 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा ने विभागीय अधीक्षण अभियंता को डी.पी.आर. भेजकर नरहट प्रखंड अंतर्गत शेखपुरा पोखर के जीर्णोद्धार कराने की अनुशंसा की है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत पोखर के जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

भागीदारी सुनिश्चित कबतक

***170 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

वित्त विभाग :-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जेम पोर्टल (Gem Portal) के माध्यम से दूसरे राज्य के आपूर्तिकत्ताओं/विक्रेताओं द्वारा सामानों की आपूर्ति किये जाने के पश्चात् संबंधित राजस्व का लाभ भी उसी राज्य को जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित प्रावधानों के कारण सूबे के स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं/विक्रेताओं को भारी आर्थिक क्षति हो रही है तथा राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के स्थानीय कारोबारियों/उद्यमियों के हित को ध्यान रखकर इन्हें प्रोत्साहित करने का विचार रखती है, साथ ही राज्य के राजस्व में वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए जेम पद्धति (Gem) के तहत इन्हें भी पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) की भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?

प्रमाण-पत्र निर्गत कबतक

*171 **श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण :-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) किसान जाति वर्ग समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, कटिहार जिलान्तर्गत किसान जाति वर्ग की संख्या भी अधिक है, परन्तु कटिहार जिला के कुछ प्रखंडों के नामित पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने से इस वर्ग के लोग लाभान्वित होने से वंचित हो रहे हैं, सरकार से अपेक्षा करता हूं कि प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए सुस्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगी, यदि हां तो कबतक ?

नहर का जीर्णोद्धार

*172 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सकरी नदी गिरीडीह (झारखंड) पहाड़ से निकालकर नवादा जिला सिकंदरा सड़क से उतर पौरा ग्राम में सकरी नदी पर बैराज बनाकर इस संरचना को बनाया गया है, जो बरसात के मौसम में काफी पानी अपने साथ लाती है;

(ख) क्या यह सही है कि सन् 1908 ई. में बने सर्वे मैप के आधार पर इस नदी का निर्माण सन् 1952 ई. में डा. कृष्ण सिंह के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ था, और इस बैराज से अपनी-अपनी सुविधानुसार छोटी-छोटी नहरें निकाली गई हैं जो नवादा, शेखपुरा एवं नालंदा जिला होते हुए आगे की ओर प्रवेश करती हैं और सिंचाई का उत्तम साधन थी;

(ग) क्या यह सही है कि सकरी नदी में पौरा ग्राम पर बने बैराज से निकाली गई नहर में वाजीदपुर फोल, खुडीया, पन्हेसा, चरूआवां फोल एवं मुर्गीयाचक सारे को अवरुद्ध कर देने से नीचे पानी आना कठिन हो गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सकरी नदी पर बने बैराज से निकाली गई नहर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?